रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2009/आषाढ़ 31, 1931
No. 1140] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2009/ASADHA 31, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

का.आ. 1802(अ).—पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं को, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है, और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 18 जुलाई, 2007 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 1174(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामश :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम सं. 73 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अन्तर्विष्टि की जाएगी, नामश :—

तालिका

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"74	मैसर्स यूनिस्टार इंवायरमेंट एण्ड रिसर्च लेब प्रा. लि., प्लॉट नं. सी/5-24, दूसरी मंजिल, व्हाइट हाउस, नीयर जी.आई.डी.सी. ऑफिस, चार रास्ता, वापी-396195 (गुजरात)	(1) श्री हरीश पी. जोशी (2) श्री गैंदालाल जी. थुमर (3) श्री जैवीक एस. टंडेल	22-07-2009 से 21-07-2014"।

[फा. सं. क्यू.-15018/7/2003-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—मूल अधिसूचना भारत में राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 की सं. का.आ. 1174 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1539 (अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 2007 की सं. का.आ. 1811 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 की सं. का.आ. 55 (अ), दिनांक 4 मार्च, 2008 की सं. का.आ. 428 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की सं. का.आ. 865 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2008 की सं. का.आ. 1894 (अ) तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2008 की सं. का.आ. 2728 (अ) और 27 मई, 2009 की सं. का.आ. 1356 (अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2009

S.O. 1802(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratory specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratory to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under section 11 of the said Act, for a period specified in cloumn (4) of the Table aforesaid; and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007, namely :—

In the Table appended to the said notification, after serial number 73 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"74	M/s Unistar Environment & Research Labs Pvt. Ltd., Plot No. C/5-24, 2nd Floor, White House, Near G.I.D.C. Office, Char Rasta, Vapi-396195 (Gujarat)	(1) Mr. Haresh P. Joshi (2) Mr. Gandalal G. Thumar (3) Mr. Jaivik S. Tandel	22-07-2009 to 21-07-2014".

IndiaCode

[F. No. Q-15018/7/2003-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinay *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended *vide* notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811 (E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55 (E), dated the 9th January, 2008, S.O. 428 (E), dated the 4th March, 2008, S.O. 865 (E), dated the 11th April, 2008 and S.O. 1894 (E) dated the 31st July, 2008 and No. S.O. 2728 (E) dated 25th November, 2008 and S.O. 1356 (E) dated 27th May, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.